



कार्यालय नगर परिषद, सीकर



श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2022-23/ 665

Date: 08.07.2022

—:अधिवास प्रमाण पत्र:—

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा सं 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं 34 रकबा 2.4400 हैक्टेयर कुल रकबा 2.4500 है0 में से 1.3720 हैक्टेयर अर्थात् 13720 वर्गमीटर (नवीन खसरा संख्या कुल रकबा 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2640/34 रकबा 1.3620 हैक्टेयर कुल रकबा 1.3720 हैक्टेयर अर्थात् 13720 वर्गमीटर भूमि) किस्म गै0मु0 आबादी भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही एवं ले-आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया है एवं आन्तरिक विकास की एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) जरिये डीड (100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित) नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये जा चुके हैं। अतः विकासकर्ता Pludg(रहन) किये गये भूखण्डों, भूखण्ड संख्या 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 को छोड़कर शेष भूखण्डों का अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार बेचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूखण्डों का जिन लोगों को बेचान किया जाता है, उनको निर्धारित प्रपत्र में प्रोविजनल पट्टा जारी कर आवंटियों की सूची नगर परिषद कार्यालय में 100/- रुपये के शपथ पत्र पर प्रस्तुत करें। इसके साथ-साथ उक्त योजना में आन्तरिक विकास अर्थात् सड़क, पानी, बिजली, पार्क, ड्रेनेज आदि अपने स्तर पर विकसित करें। ये सुविधाएँ विकसित करने पर ही Pludg (रहन) किये गये भूखण्ड रिलिज किये जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

Date: 08.07.2022

S. No. :- F.(11)/90A /2022-23/ 666-670

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित जोत्त निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
3. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
4. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
5. विकासकर्ता/आवेदक 1. परवीन पुत्री मोबीन अली 2. याशमीन पुत्री मोबीन अली 3. शाहीन पुत्री मोबीन अली 4. शाजीद पुत्र मोबीन अली जरिये मुख्तयार मोहम्मद शाहीद पुत्र मोबीन अली 5. मोहम्मद शाहीद पुत्र मोबीन अली 6. मोहम्मद रमजान पुत्र गुलाम हुसैन जरिये मुख्तयार मोहम्मद सैफ पुत्र रमजान निवासीगण सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आन्तरिक विकास के एवज में नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की सूची कॉलोनी में बोर्ड पर चस्पा करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2022-23/ 664

Date: 08.07.2022

1. परवीन पुत्री मोबीन अली
2. याशमीन पुत्री मोबीन अली
3. शाहीन पुत्री मोबीन अली
4. शाजीद पुत्र मोबीन अली
जरिये मुख्तयार मोहम्मद शाहीद पुत्र मोबीन अली
5. मोहम्मद शाहीद पुत्र मोबीन अली
6. मोहम्मद रमजान पुत्र गुलाम हुसैन
जरिये मुख्तयार मोहम्मद सैफ पुत्र रमजान
निवासीगण सीकर

विषय:- राजस्व ग्राम सीकर के खसरा सं 33, रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं 34 रकबा 2.4400 हैक्टेयर कुल रकबा 2.4500 है० में से 1.3720 हैक्टेयर अर्थात 13720 वर्गमीटर (नवीन खसरा संख्या कुल रकबा 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2640/34 रकबा 1.3620 हैक्टेयर कुल रकबा 1.3720 हैक्टेयर अर्थात 13720 वर्गमीटर भूमि) का कृषि से अकृषिक उपयोग (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने बाबत।

प्रसंग:- निकाय स्तर पर गठित ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 07.06.2022 के संबंध में।

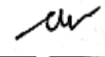
उपर्युक्त विषयान्तर्गतलेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 3(50)यूडीएच/3/2012, प.3(90)नवि/03/2012 दिनांक 21.06.2012 के नियम 31, 32 के तहत गठित ले-आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 07.06.2022 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरण में आवासीय योजना का परीक्षण नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत योजना मानचित्र का हल्का पटवारी द्वारा योजना सीमा बिन्दू "ए,बी,सी,डी" तक प्रमाणिकरण किया गया है।
3. उपर्युक्त स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार यानी पहुंच मार्ग मौके पर कायम किया जाने का दायित्व संबंधित आवेदक का रहेगा।
4. उक्त आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 9455.14 वर्गमीटर है, जिसका निम्न प्रकार से भू-उपयोग निर्धारित किया जाना स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	9455.14	68.92
2	सड़क	4031.46	29.39
3	इन्फॉर्मल कॉमर्शियल	149.80	1.08
4	सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट	83.60	0.61
5	योग	13720	100

5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 11(IV) के प्रावधानानुसार विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को आन्तरिक विकास यथा सड़क, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ति, सीवरेज/ड्रेनेज, का कार्य निर्धारित समय सीमा में कराने की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की रहेगी, के पेटे निकाय द्वारा उपबंधित/रहन रखे जावेंगे एवं आमजन के जानकारी हेतु उक्त भूखण्डों की सार्वजनिक जानकारी का विवरण पट्टिका संबंधित कॉलोनी में लगावाया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

6. ले-आउट से संबंधित भूमि का मौके पर क्षेत्रफल या भूमि के स्वामित्व संबंधित पूर्ण होना या कम होने पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, संबंधित आवेदक की रहेगी।
 7. आवेदित भूमि के आस-पास की पूर्व से अनुमोदित या 17.06.1999 से पूर्व की कोई कॉलोनी विकसित/ अवस्थित होने की दशा में उक्त में से आने वाली सड़कों की निरन्तरता यथा संभव सुनिश्चित किया जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी एवं आवश्यक हुआ तो भूखण्डों का विकय/आवंटन करने से पूर्व ले-आउट में संशोधन करवाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।
 8. प्रस्तावित योजना में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण की दृष्टि से नियमानुसार वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थापना करवाया जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी।
 9. प्रस्तावित योजना में विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 30 वृक्ष प्रति एकड़ के अनुसार सड़कों के दोनों ओर लगाये जाने होंगे।
 10. प्रस्तावित योजना में भवन निर्माण से पूर्व भूखण्ड केता/आवंटी के द्वारा प्रचलित भवन निर्माण आज्ञा नियमों के तहत निर्माण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण किया जा सकेगा।
- संलग्न:- स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति।


(श्रवण कुमार विश्नोई)
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

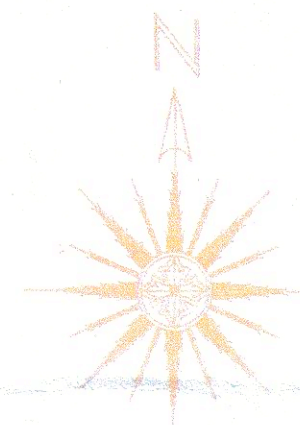
Received
S. Singh

"GEHLOT RESIDENCY"

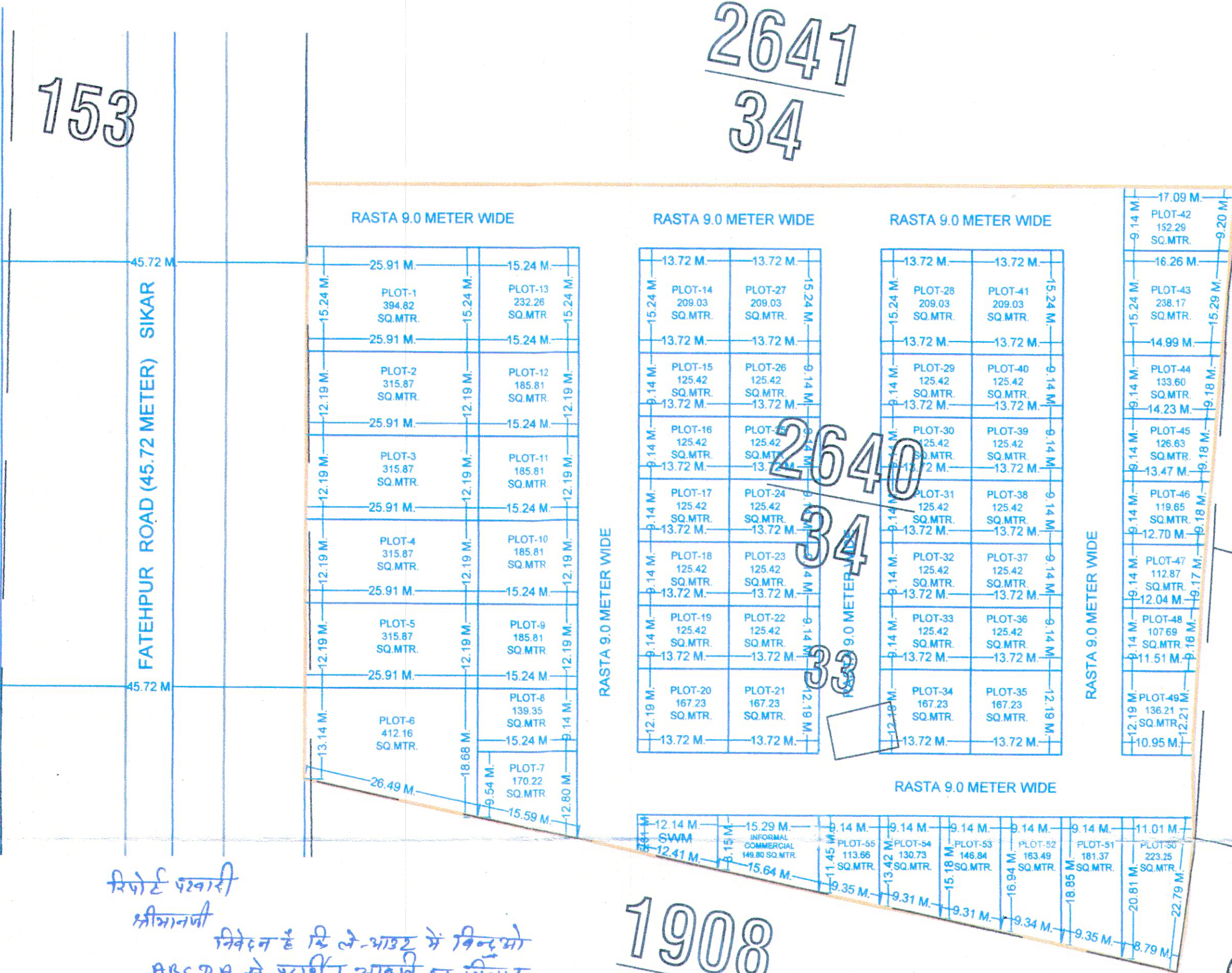
LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.33,34 FATEHPUR ROAD, REVENUE VILL. -SIKAR, DIST. SIKAR (RAJ.)

FOR- 90-A AND RESIDENTIAL CONVERSION

APPLICANT:- 1. PARVEEN D/O MOBIN ALI 2. YASMIN D/O MOBIN ALI 3. SHAHIN D/O MOBIN ALI 4. SAJID S/O MOBIN ALI THROUGH POWER OF ATTORNEY MOHAMED SHAHID S/O MOBIN ALI 5. MOHAMED SHAHID S/O MOBIN ALI 6. MOHAMED RAMJAN S/O GULAM HUSSAIN THROUNG POWER OF ATTORNEY MOHAMED SAIF S/O RAMJAN



KEY-PLAN
N.T.S.



AREA ANALYSIS		
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)
1.	RESIDENTIAL	9455.14
2.	INFORMAL	0149.80
3.	SWM	0083.60
4.	ROAD	4031.46
TOTAL		13720.00
		100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL	
1.	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL
3.	INFORMAL COMMERCIAL
4.	MOBILE TOWER

SCALE - 1CM = 6 MTR.	
---	SCHEME BOUNDARY
---	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

HOME ARCHITECT & SURVEYORS
1st, floor, Jangir Bhawan
Opp. court, Sikar
mo. 7891067650, 9928338794

TOTAL AREA FOR KHASRA NO. 33= 100.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR KHASRA NO. 34= 24400.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR CONVERSION = 13720.00 SQ. MTR

रिपोर्ट प्रवारी
श्रीमानजी
निवेदन है कि ले-आउट में बिन्दुओं
A B C D E से उद्धारित आकृति का मिलान
राजस्व नक्शा लेख से करने पर उक्त
ले-आउट राजस्व नक्शा लेख के लगभग
अनुकूल है। रिपोर्ट पेश है।

रिपोर्ट
प्रवारी अथवा अधिकारी

नगर परिषद स्तरीय ले-आउट प्लान कम्पेटी
की बैठक दिनांक 05.11.2022 में
अनुमोदित किया गया। कम्पेटी की बैठक का
कार्यवाही विवरण कार्यवाही पत्रांक 3330/22
दिनांक 15/06/2022 में किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद, सीकर

सहायक नगर नियोजक
नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर